न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 31/2024 GCMS No.- 2024/119

सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास चुगलपुरा, हाल निवासी ग्राम बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. गोमति पत्नि स्व0 गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास चुगलपुरा, हाल निवासी ग्राम बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। (फौत)
3. घनश्याम पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास चुगलपुरा, हाल निवासी ग्राम बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. बनवारी लाल पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास, चुगलपुरा
5. मुन्नी देवी पुत्री गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास चुगलपुरा हाल निवासी ग्राम बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

———————

उपस्थितः–

1. श्री पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सियाराम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 की ओर से।
3. श्री अनिल कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.08.2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ ने जरिये पत्रांक/एलआर/24/3086 दिनांक 14.06.2024 से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर संवत् 2008 में माफी मंदिर श्री ठाकुर जी श्री सालिगराम जी सा. देह दर्जहै। खतौनी एकीकरण जमाबन्दी में भी उक्त भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। कालान्तर में नवीन सेटलेन्ट खतौनी संवत् 2065 बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के निर्णय के बिना ही माफी मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए संवत् 2065 में श्री गोपाल पुत्र चन्दा जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गयी इसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 52, 117, 124 से भूमि अर्न्तहित होकर वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–2079 से स्थाई में उक्त भूमि श्री कल्याण पुत्र गोपाल राहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अचरोल, गोमति पत्नि स्व0 गोपाल, घनश्याम पुत्र गोपाल राहिन पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कूकस, बनवारी लाल पुत्र गोपाल, मुन्नी देवी पुत्री गोपाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा के खातदेारी में दर्ज है। यह कार्यवाही नियम विपरीत बिना किसी आधार व आदेश के हुई है जो आरम्भ

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

से ही प्रभाव शून्य ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर वापस मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री सालिगराम जी, सा. देह के नाम लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सियाराम शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 फौत हो चुके है एवं उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 5 प्रकरण में पक्षकार है। अप्रार्थी गण द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। विद्वान राजकीय पैरोकार एवं अप्रार्थी अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

विद्वान राजकीय पैरोकार की दलील है कि विवादित भूमि जमाबन्दी संवत् 2008 ग्राम खेमावास चुगलपुरा, तहसील जमवारामगढ के मुताबिक माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी की खातेदारी में दर्ज रही, किन्तु बाद में नवीन सेटलमेन्ट संवत् 2065 में माफी मन्दिर के नाम से हट कर अप्रार्थीगण के पिता गोपाल पुत्र चन्दा के नाम दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी की खातेदारी में बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के निर्णय के बिना ही माफी मन्दिर का नाम विलोपित करते हुये दर्ज कर दी गई। अतः उक्त माफी मन्दिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तान्तरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगणों की खातेदारी से हटाई जाकर वापिस माफी मन्दिर ठाकुर जी सालिगराम जी सा0 देह के नाम दर्ज करने का आदेश फरमायें जाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,3,5 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण है। प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व जयपुर रियासत के प्रचलित कानून जयपुर स्टेट ग्रान्टस लैण्ड टेन्यूर एक्ट 1947 के तहत उत्तरदातागण के हकपूर्वाधिकारी चन्दाराम पुत्र नारायण पूजारी की व्यक्तिगत माफी (जागीर) की भूमि थी जो उसे मन्दिर पुख्ता की सेवा पूजा किये जाने की वजह से दी गयी थी। चन्दाराम मातमीदार का स्वर्गवास दिनांक 25.11.1953 को हो जाने पर प्रचलित जयपुर मातमी नियम 1945 के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर बइजलास बी.एल.दसोरा के समक्ष मिसल संख्या

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

2011/38 तारीख रज्जू 24.06.1954 अनुसार मातमी गोपाल पुत्र चन्दाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मातमी बांधे जाने दिनांक 22.12.1953 को पेश की गई। जिस पर आदेश दिनांक 20.04.1955 को पारित किया गया कि मातमी गोपाल के बांधी जावे। प्रश्नाधीन आराजी उत्तरदाता के हकपूर्वाधिकारी स्व. गोपाल पुत्र चन्दाराम जाति ब्राहम्ण की व्यक्तिगत की माफी की आराजी है तो उन्हे मंदिर में सेवा पूजा हेतु व मन्दिर के भोग व्यवस्था हेतु तत्कालीन जयपुर रियासत द्वारा अता की गयी। भू प्रबन्ध की कार्यवाही तहसील जमवारामगढ में प्रारम्भ होने पर खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी संवत् 2008 से 2027 ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा तहसील जमवारामगढ के खाता संख्या 23 में अंकित खसरा नंबर 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 12 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा उक्त खतौनी के कॉलम 3 में नाम भोक्ता खालसा व कॉलम 4 नाम उपभोक्ता में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सालिगराम पुजारी चन्दा वल्द नारायण कौम ब्राहम्ण सा. देह अंकित है। तहसील जमवारामगढ में एकीकरण विभाग की कार्यवाही होने पर मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन खसरा नंबर 43, 44/1, 2 लगायत 12 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा बनाये गये तथा कॉलम संख्या 3 (नाम भोक्ता पिता का नाम जाति निवास स्थान) में प्रविष्ठी माफी मंदिर श्री सालिगराम जी अंकित है। हाल बन्दोबस्त की कार्यवाही होने पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन खसरा नंबर 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 कुल किता 11 रकबा 2.60 हैक्टर बनाये गये। राजस्थान लैण्ड रिर्फामस एण्ड रिजम्पशन एक्ट 1952 के sec 2 के तहत The First schedule के कम संख्या 15 पर माफी जागीर की श्रेणी में अंकित है तथा उक्त अधिनियम 1952 की धारा 10 अनुसार जागीरदार (माफीदार/मातमीदार) की खुदकाश्त भूमि पर खातेदारी स्वतः माफीदार/मातमीदार के नाम अंकित कर दी गई। विवादित भूमि जयपुर रियासत के समय अप्रार्थीगण के पूर्वज चन्दाराम के व्यक्तिगत माफी की भूमि थी एवं जागीर एक्ट की धारा 10 के अनुसार उत्तरदातागण के हकपूर्वाधिकारी श्री गोपाल पुत्र चन्दा को खातेदारी अधिकार बाई ओपरेशन ऑफ ला प्राप्त हुए एवं खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 जारी करते समय उक्त खतौनी के कॉलम संख्या 4 में प्रविष्ठी माफीदार/मातमीदार श्री गोपाल पुत्र चन्दा पुजारी जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड विधिवत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को समझे व जांचे बिना पेश किया गया है तो विरूद्ध कानून होने के कारण निरस्त किया जा कर ड्राप किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण खारिज किया जाकर ड्राप किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान राजकीय पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग संवत् 2008 ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा तहसील जमवारामगढ के मुताबिक आराजी खसरा नंबर 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 12 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सालिगराम जी पुजारी चन्दा वल्द नारायण कौम ब्राहम्ण सा0 देह में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त माफीदार दर्ज है। नवीन सेटलमेन्ट खतोनी संवत 2065 बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के निर्णय के बिना ही माफी मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए संवत् 2065 में गोपाल पुत्र चन्दा जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त भूमि के नवीन खसरा नंबर 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 कुल कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर है। इस प्रकार बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के निर्णय के बिना ही माफी मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थीगणों की खातेदारी में जरिये नामान्तकरण संख्या 52, 117, 124 से आराजी खसरा नंबर 199 लगायत 209 कुल किता 11 कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गयी जो अनुचित है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और यहां माफी मन्दिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तान्तरण हुआ है जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 (4) व 46(ए) के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है, और इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई गई काश्त उसके स्वयं द्वारा ही काश्त मानी जावेगी। नाबालिग भूमि पर किसी व्यक्ति को चाहे व पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि खातेदारी अधिकार किसी प्रकार प्राप्त हो भी गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगें। विवादित मामले में रिकॉर्ड में जो रद्दोबदल हुआ है वह बिना किसी आदेश के नियम विपरीत हुआ है और इस प्रकार के मामलों में कोई समय सीमा भी बाधित नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में रेफरेन्स में कोई मियाद सीमा भी निश्चित नहीं है। नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने के कारण उनके विरूद्ध रेफरेन्स पर विचार करने में लम्बी अवधि की कोई बाधा नहीं मानी जा सकती। माफी मन्दिर की भूमि से निजी खातेदारों के नाम हटाने के लिये सबसे प्रभावी कार्यवाही धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेन्स करना ही है। अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 1, 3, 5 द्वारा चन्दा पुत्र नारायण की व्यक्तिगत भूमि जागीर की माफी भूमि होने का तथ्य दिया गया है किन्तु उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

24.06.1954 अनुसार मातमी गोपाल पुत्र चन्दाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया किन्तु उक्त निर्णय में भी जमीन भोग मन्दिर पुख्ता में है सेवा पूजा होती है और जयदाद भोग की होने का अंकन है। अप्रार्थी संख्या 1,3,5 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में विवादित आराजी स्व. गोपाल की व्यक्तिगत माफी की आराजी बतायी है किन्तु अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। किन्तु संवत् 2008 में विवादित आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सालिगराम जी पुजारी चन्दा वल्द नारायण कौम ब्राहम्ण सा0 देह में दर्ज है तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त माफीदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 ने भी विवादित आराजी वापिस माफी मन्दिर ठाकुर जी सालिगराम जी सा0 देह के नाम दर्ज करवाये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में पुजारी अथवा काश्तकार को मन्दिर की भूमि पर स्वयं को कोई विधिक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है मन्दिर की भूमि पर कोई भी मूर्ति की ओर से काश्त करे कब्जा सदैव मूर्ति मन्दिर का ही माना जाता है, जो शाश्वत नाबालिग है। इसलिए प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित वर्तमान आराजी खसरा नंबर 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 कुल किता 11 कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर जो वर्तमान में अप्रार्थीगणों कल्याण पुत्र गोपाल, गोमति पत्नि स्व0 गोपाल, घनश्याम पुत्र गोपाल, बनवारी लाल पुत्र गोपाल, मुन्नी देवी पुत्री गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा, तहसील जमवारामगढ में दर्ज है को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी से हटाने व माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी, सालिगराम जी सा. देह की खातेदारी में दर्ज करने तथा उसके पश्चात किये गये इन्द्राजात नामान्तकरण आदि को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाता है। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित होवें। पत्रावली आदेश की अतिरिक्त प्रति के साथ माननीय राजस्व मण्डल में भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर